A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या – 43 / 2020
निर्णय दिनांक– 23.06.2020

उनवान

1. रामअवतार पुत्र हुकमचन्द जाति ब्रहामण निवासी भानपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
2. कृष्णमुरारी पुत्र हुक्मचन्द जाति ब्रहामण निवासी भानपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
3. ममता पत्नि कृष्णमुरारी जाति ब्रहामण निवासी भानपुरा तहसील उनियारा जिला टोक
4. राधादेवी पत्नि रामावतार जाति ब्रहामण निवासी भानपुरा तहसील उनियारा जिला टोक

– प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार उनियारा जिला टोक
2. अंजना पत्नि बाबुलाल जाति बैरवा निवासी भानुपरा तहसील उनियारा।

– प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र 128 भू राजस्व अधिनियम
उपस्थितः–स्वयं प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 117 ख0न0 847 / 27 रकबा 1.00 है0 एवं खाता संख्या 82 ख0न0 845 / 27 रकबा 2.44 वाके ग्राम भानपुरा तह0 उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। जिस पर प्रार्थीया का निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीया के पडोसी काश्तकारान द्वारा प्रतिवर्ष कांटो की बाढ लगाई जाती है। काटो की बाढ के माध्यम से पडोसी काश्तकारों द्वारा प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर अतिक्रमण करने पर आमादा रहते है। पडोसी काश्तकारान द्वारा बार बार परेशान करने पर प्रार्थीया ने प्रतिपक्षी के समक्ष सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया, जिस पर दिनांक 02.06.2020 को पटवारी हल्का गुमानपुरा द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान कर चारों दिशाओं के निशानात बनाये गये थे व पडोसी काश्तकारों को बताये गये थे, लेकिन इसके बावजूद पडोसी काश्तकार उक्त सीमा चिन्हों को मानने से इंकार कर रहे है

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक

और प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि पर जबरन कांटों की बाढ लगाना चाहते है। इस कारण प्रार्थीया के लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाकर सीमाये निर्धारित किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 117 ख0न0 847/27 रकबा 1.00 है0 एवं खाता संख्या 82 ख0न0 845/27 रकबा 2.44 वाके ग्राम भानपुरा तह0 उनियारा की पत्थरगढी कर सीमाये निर्धारित करने हेतु प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा को आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी से जवाब लिया गया।

प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा के बावजूद सूचना के उपस्थित नही आने के कारण दिनांक 16.6.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। एवं प्रतिपक्षी नम्बर 2 के प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त आराजी में पत्थरगढी करने को कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 वाके ग्राम भानपुरा मे वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 117 ख0न0 847/27 रकबा 1.00 है0 रामअवतार पुत्र हुकमचन्द जाति ब्रहामण निवासी भानपुरा वगै0 सा0 देह खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पर विवाद की संभावना के मध्य नजर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने की वैधानिक अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना उचित समझता है। **एवं खाता संख्या 82 ख0न0 845/27 रकबा 2.44 वाके ग्राम भानपुरा नामान्तकरण से प्रकियाधीन है।** जिसके कारण ख0न0 845/27 का पत्थरगढी करवाया जाना संभवन नही है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेश दिया जाता है कि आराजी खाता संख्या 117 ख0न0 847/27 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम भानपुरा तहसील उनियारा का प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढ़ी करें। फरीकेन खर्चा अपना अपनां वहन करे। पालनार्थ तहसीलदार उनियारा को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट में पेश।

यह निर्णय आज दिनांक 23.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला-टोंक